रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, जनवरी 13—जनवरी 19, 2019, शनिवार/ पौष 23—पौष 29, 1940
No. 3] NEW DELHI, JANUARY 13—JANUARY 19, 2019, SATURDAY/PAUSHA 23— PAUSHA—29, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 17.—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एलआईसी के पूर्व अध्यक्ष श्री वी. के. शर्मा की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्री हेमंत भार्गव, प्रबंध निदेशक को तीन महीने की अवधि या नियमित नियुक्ति किए जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपती है।

[फा.सं. ए-15011/02/2018-बीमा-I]

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

(b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelor Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute. (ii) Two years experience in the field of irrigation and water utilization or in survey, investigation, design and maintenance of irrigation projects or works in the Central Government or State Government or Union territory Administration or Government recognized institute. **Note 1:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date for receipt of applications.		

[F. No. A.12018/1/2015-E.III(UYRB) (PART2)]

NARENDRA SINGH, Under Secy.

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटन मंत्रालय, उप-महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक और सहायक महानिदेशक/निदेशक समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011, पर्यटन मंत्रालय में उप-महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक और सहायक महानिदेशक/निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय, उप-महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक और सहायक महानिदेशक और निदेशक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उपरोक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, **वेतन मैट्रिक्स में स्तर** वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप-महानिदेशक/ क्षेत्रीय निदेशक	12*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.)	चयन	50 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा था विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक; (ii) पर्यटन या जन संपर्क या प्रचार के क्षेत्र में या प्रशासनिक कार्य में दस वर्ष का अनुभव जिसके	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। **टिप्पण** : परिवीक्षा को पूरा करने के लिए पूर्व अपेक्षित कम से कम दो सप्ताह का अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा (ii) 25% सीधी भर्ती द्वारा (iii) अल्पकालिक संविदा सहित 25% प्रतिनियुक्ति द्वारा

अंतर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा कानूनी अथवा स्वायत्तशासी संगठन अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षिक इकाई अथवा रजीस्ट्रीकृत कॉरपोरेट संस्थान में पर्यटन या आतिथ्य क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव भी है; (iii) छह मास की न्यूनतम अवधि का अंग्रेजी भाषा से भिन्न विदेशी भाषा (भाषाओं) के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र। **वांछनीय :** पर्यटन या पर्यटन प्रबंधन या पर्यटन और यात्रा या पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य प्रबंधन या पर्यटन और यात्रा प्रबंधन या पर्यटन अध्ययन या पर्यटन प्रशासन में स्नात्कोत्तर डिग्री/कारवार प्रशासन में स्नात्कोत्तर या पर्यटन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **टिप्पण 1 अर्हताएं** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जा सकें **संघ लोक सेवा आयोग** के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** – अनुभव संबंधी अर्हता **संघ लोक सेवा आयोग** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए लेखबद्ध किए जा सकने वाले कारणों के लिए तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर **संघ लोक सेवा आयोग** की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे सहायक महा-निदेशक/निदेशक जिन्होंने स्तर-II वेतन मैट्रिक्स (67,700-2,08,700/-) ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा यथा विहित दो से चार सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे जयेष्ठन व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित है) – केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ अर्द्ध-सरकारी/ मान्याताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वाविद्यालयों/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ कानूनी या स्वायत्त निकाय के अधीन अधिकारी:- (क) (I) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; (II) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन स्तर 11 (67,700-2,08,700/-रु.) या समतुल्य के वेतनमान में नियमित सेवा की हो और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग– अध्यक्ष (2) सचिव (पर्यटन) - सदस्य (3) अपर महानिदेशक (पर्यटन) – सदस्य (4) संयुक्त सचिव (पर्यटन) – सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-** (1) सचिव (पर्यटन) – अध्यक्ष (2) अपर महानिदेशक (पर्यटन) – सदस्य (3) संयुक्त सचिव (पर्यटन) – सदस्य	सीधी भर्ती किए जाने और प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की नियुक्ति (अल्पकालिन संविदा सहित) किए जाने के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अर्हताएं और अनुभव है । **टिप्पण 1** – पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** – प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि, (लघु अवधि संविदा सहित) अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.सहायक महानिदेशक/निदेशक	24*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन स्तर-II 67700-208700 रु.	चयन	40 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले

					के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक; (ii) पर्यटन या जन संपर्क या प्रचार के क्षेत्र में या प्रशासनिक कार्य में सात वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा कानूनी अथवा स्वायत्तशासी संगठन अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान अथवा रजिस्ट्रीकृत कॉरपोरेट संस्थान में पर्यटन या आतिथ्य क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव भी है; (iii) छह मास की न्यूनतम अवधि का अंग्रेजी भाषा से भिन्न विदेशी भाषा (भाषाओं) के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र। **वांछनीय :** पर्यटन या पर्यटन प्रबंधन; पर्यटन और यात्रा या पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य प्रबंधन या पर्यटन और यात्रा प्रबंधन; पर्यटन अध्ययन या पर्यटन प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री/कारवार प्रशासन में स्नातकोत्तर या पर्यटन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **टिप्पण 1** अर्हताएं- अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **संघ लोक सेवा आयोग** के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 –** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष । **टिप्पण** : परिवीक्षा को पूरा करने के लिए पूर्व अपेक्षित कम से कम दो सप्ताह का अधिष्ठापन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा (ii) 25% सीधी भर्ती द्वारा (iii) 25% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें लघु अवधि संविदा शामिल हैं।

अभ्यर्थियों के लिए लेखबद्ध किए जा सकने वाले कारणों के लिए **संघ लोक सेवा आयोग** के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर **संघ लोक सेवा आयोग** की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे सहायक निदेशक/प्रबंधक/पर्यटक संवर्धन अधिकारी और सहायक निदेशक (प्रशासन) जिन्होंने उस वेतन स्तर 7: 44900-142400 रुपए में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथा विहित दो से चार सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1**: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी या अपने-अपने पद पर अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे जयेष्ठन व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पसकालिक संविदा सहित) – केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ अर्द्ध-सरकारी/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वाविद्यालयों/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ कानूनी या स्वायत्त निकाय के अधीन अधिकारी:- (क) (।) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए	(I) **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2) सचिव (पर्यटन) - सदस्य (3) अपर महानिदेशक (पर्यटन) – सदस्य (4) संयुक्त सचिव (पर्यटन) – सदस्य **(II)समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी**:- (1) सचिव (पर्यटन) – अध्यक्ष (2) अपर महानिदेशक (पर्यटन) – सदस्य (3) संयुक्त सचिव (पर्यटन) – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

हुए हैं ; (II) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन स्तर 09(53,100-1,67,800/-रु.) या वेतन स्तर 10 (56,100-1,77,500/-रु.) या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण 1** – पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2** – प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा.सं.ए-11017(1)/2005-प्रशासन-I (खंड-IV)]

राजा कार, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 15th January, 2019

G.S.R.28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Tourism, Deputy Director General/Regional Director and Assistant Director General/Director, Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2011, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director General/ Regional Director and Assistant Director General/ Director in the Ministry of Tourism, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Tourism, Deputy Director General/Regional Director and Assistant Director General/ Director (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit,qualifications,etc.— The method of recruitment, age - limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection posts or Non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Director General/Regional Director.	12* (2018) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12(Rs.78,800–2,09,200/-).	Selection.	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar islands or Union territory of Lakshadweep.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment Whether by Direct Recruits or by Promotion or by Deputation/ Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i)Graduation in any discipline from a recognized University; (ii) ten years experience in the field of tourism or public relations or publicity or administrative work including five years' experience in the field of Tourism and hospitality in the Central Government or State Government or the Union territory adminstration or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research Institutions or statutory or autonomous organizations or Government recognised educational Institutions or registered corporate entities. (iii) Diploma or certificate of foreign language course, other than English, for a minimum period of six months. **Desirable:** Master Degree or Master of Business Administration or Post Graduate Diploma in Management in Tourism or Tourism Management or Tourism and Travels or Tourism, Travel and Hospitality Management or Tourism and Travel Management or Tourism Studies or Tourism Administration. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	One year for direct recruits. **Note:** Successful completion of induction training of at least two weeks is a pre-requisite for completion of probation	(i) 50 % by promotion; (ii) 25% by direct recruitment; (iii) 25 % by deputation including short-term contract

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be

deputation/absorption to be made		consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Director General/Director in level-11(Rs.67,700-2,08,700/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and successful completion of two to four weeks training as prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such a qualifying or eligibility service. Deputation (including short- term contract): Officers under the Central Government or State Government or Semi-Government or recognized Research Institutions or Union territories or Universities or Public Sector Undertakings or statutory or autonomous bodies:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in post in level-11(Rs.67,700-2,08,700/) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short- term contract) including period of deputation (including short- term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of	**I. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of**:- 1 Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman 2 Secretary (Tourism) -Member 3 Additional Director General (Tourism) - Member 4 Joint Secretary (Tourism) – Member **II. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1 Secretary (Tourism) -Chairman 2 Additional Director General (Tourism) - Member 3 Joint Secretary (Tourism) – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short- term contract).

the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Assistant Director General/Director	24* (2018) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11(Rs.67,700–2,08,700/-)	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar islands or Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i)Graduation in any discipline from a recognized University; (ii) seven years experience in the field of tourism or public relations or publicity or administrative work including three years experience in the field of tourism and hospitality in the Central Government or State Government or the Union territory administration or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research Institutions or statutory or autonomous organizations or Government recognised educational Institutions or registered corporate entities. (iii) Diploma or certificate of foreign language course other than English for a minimum period of six months. **Desirable:** Master degree or Master of Business Administration or Post-graduate Diploma in Management in Tourism; Tourism Management; Tourism and Travels; Tourism, Travel and Hospitality Management; Tourism and Travel Management; Tourism Studies or Tourism Administration. **Note 1:** Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of Selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	(i) One year for direct recruits; and (ii) One year for promotees. Note: Successful completion of induction training of at least two weeks is a pre-requisite for completion of probation.	(i) 50 % by promotion; (ii) 25% by direct recruitment; (iii) 25 % by deputation including short-term contract.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Director or Manager or Tourist Promotion Officer and Assistant Director (Administration) in level-7 (Rs.44,900 – Rs.1,42,400/-) with seven years regular service in the grade and successful completion of two to four weeks training as prescribed by the department. **Note 1:** The eligibility list of promotion shall be prepared with reference to the date of completion by	**I. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1 Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman 2 Secretary (Tourism) -Member 3 Additional Director General(Tourism) - Member 4 Joint Secretary (Tourism) - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

officers of the qualifying service in the respective grade or post. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such a qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Semi-Government or recognized research Institutions or Union territories or Universities or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in posts in the level-9 (Rs.53,100-1,67,800/-)or level-10 (Rs.56,100-1,77,500/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	**II. Group 'A' Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of:-** 1 Secretary (Tourism) - Chairman 2 Additional Director General (Tourism) - Member 3 Joint Secretary (Tourism) - Member	

[F. No. A-11017(1)/2005-Admn.I (Volume-IV)]

RAJA KAR, Under Secy.